

प्राधिकरण बोर्ड की 161वीं बैठक हेतु विचारणीय बिन्दुओं की सूची



तिथि :- 24 मई, 2017

समय :- पूर्वाह्न 11.00 बजे

स्थान :- मसऊद सभागार, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

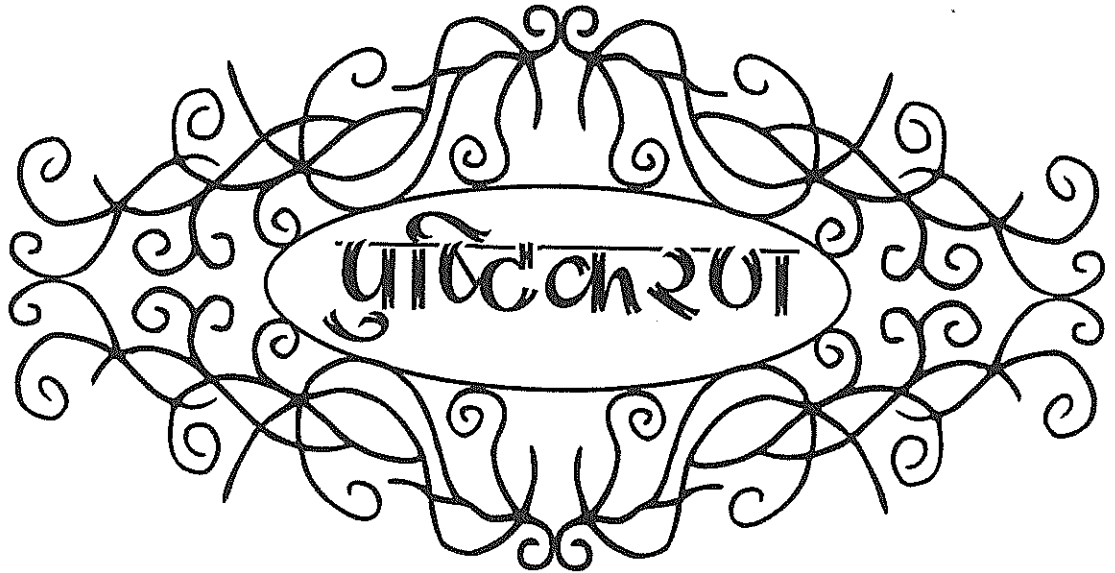
**लखनऊ विकास प्राधिकरण की 161वीं बैठक दिनांक 24.05.2017 में
विचारणीय विषयों की कार्यसूची**

क्रम	विषय	पृष्ठ संख्या
01.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.12.2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
02.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.12.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	08
03.	प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2016-17 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 का प्रस्तावित आय-व्ययक से सम्बन्धित प्रस्ताव।	16

विषय संख्या : 1

पृष्ठ संख्या : 01

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 के कार्यवृत्त का
पुष्टिकरण।



लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
26.12.2016 का कार्यवृत्त दिनांक 28.12.2016 को
समस्त मा0 सदस्यों को अवलोकनार्थ प्रेषित किया
गया। किसी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति एवं सुझाव
उपलब्ध नहीं कराये गये है। अस्तु बैठक दिनांक
26.12.2016 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

**लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 160वीं बैठक दिनांक
26 दिसम्बर, 2016 का कार्यवृत्त**

उपस्थिति:—

- | | | |
|-----|----------------------------------|--|
| 01. | श्री सदाकान्त | अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0। |
| 02. | श्री सत्येन्द्र सिंह | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी, लखनऊ। |
| 03. | श्री आर0पी0 सिंह | आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद। |
| 04. | श्री उदय राज सिंह | नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ। |
| 05. | श्री शिव जनम चौधरी | विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन। |
| 06. | श्री अजय कुमार मिश्र | मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश। |
| 07. | श्री आर0पी0 यादव | श्रेत्रीय पर्यटन अधिकारी,
प्रतिनिधि—महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0। |
| 08. | श्री एस0 सोनी | प्रतिनिधि—अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। |
| 09. | श्री विजय सिंह यादव | सदस्य, ल0वि0प्रा0 |
| 10. | श्री इसहाक गुड्डू | सदस्य, ल0वि0प्रा0 |
| 11. | श्री रमेश कपूर 'बाबा' | मा0 पार्षद/सदस्य, ल0वि0प्रा0 |
| 12. | श्री सौरभ सिंह 'मोनू' | मा0 पार्षद/सदस्य, ल0वि0प्रा0 |
| 13. | श्री सुरेन्द्र सिंह 'राजू गांधी' | मा0 पार्षद/सदस्य, ल0वि0प्रा0 |

अन्य उपस्थिति:—

- | | | |
|-----|--------------------|------------------------------|
| 14. | श्री अरुण कुमार | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण |
| 15. | श्री जे0एन0 रेड्डी | मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 |

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन तथा उपस्थित सदस्यों के स्वागत एवं औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

विषय संख्या : 1

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.10.2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय :

प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.10.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय :

प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या : 3

लामार्टिनीयर गर्ल्स कालेज में बनाये गये आडिटोरियम का नाम फरीदा अब्राहम मेमोरियल आडिटोरियम रखे जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 4

अमर शहीद पथ गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि में निर्माण के बदले विस्थापित कोटे का लाभ दिये जाने की मांग के क्रम में आवेदनों पर विचार करने के लिए कमेटी गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त अमर शहीद पथ गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि में निर्माण के बदले विस्थापित कोटे का लाभ दिये जाने की मांग के क्रम में आवेदनों पर विचार करने के लिए कमेटी गठित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 5

आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.16 के माध्यम से भूमि अर्जन अधिनियम, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013, की धारा-24(2) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया स्वतः ही व्यपगत हो जाने के कारण प्रार्थिनी की ग्राम मखदूमपुर की खसरा संख्या-132 रकबा 1-2-0-0 बीघा भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने तथा प्रार्थिनी को कब्जा पुनः प्रदान किये जाने की मांग के क्रम में प्रकरण



शासन को सन्दर्भित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

पुनर्परीक्षण हेतु प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 6

प्राधिकरण की अर्जित ग्राम मलेसेमऊ की खसरा संख्या-322 क्षेत्रफल 2-10-8-0 बीघा भूमि के बदले शासनादेश दिनांक 22.10.2002 के अनुसार 50 प्रतिशत भूमि आवेदिका के पक्ष में यथास्थान समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण की अर्जित ग्राम मलेसेमऊ की खसरा संख्या-322 क्षेत्रफल 2-10-8-0 बीघा भूमि के बदले शासनादेश दिनांक 22.10.02 के अनुसार 50 प्रतिशत भूमि विकास शुल्क लेते हुए आवेदिका के पक्ष में यथास्थान समायोजित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 7

कानपुर रोड नगर प्रसार भाग-1, 2, 3 व 4 के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर समझौते के आधार पर भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचार-विमर्श के उपरान्त कमेटी गठित कर विधिक रूप से परीक्षण व पुनर्निर्धारण हेतु प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 8

भूखण्ड संख्या-सीएफ-1/43, गोमती नगर विस्तार वरदान खण्ड-1 में सामुदायिक से आवासीय उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन एवं विराज खण्ड-2 में 2000 वर्गमी० भूखण्ड को सामुदायिक से आवासीय उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विधिक/पुनर्परीक्षण हेतु प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 9

लखनऊ विकास प्राधिकरण में पांच दिवसीय कार्य-सप्ताह लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 10

19 मृतक आश्रित संविदा कार्मिकों में से समूह-ग के 2 तथा समूह-घ के 17 कार्मिकों को नियमित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

M

विषय संख्या : 11

उ०प्र० सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 में उल्लिखित प्राविधानानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त उ०प्र० सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 को अंगीकृत किया गया।

विषय संख्या : 12

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहे चिकित्सा भत्ते की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव वापस लिया गया।

विषय संख्या : 13

उ०प्र० नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में प्रस्तावित संशोधन को अंगीकरण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

उ०प्र० नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में प्रस्तावित संशोधनों को अंगीकृत किया गया।

विषय संख्या : 14

गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 तथा सेक्टर-6 के तलपट मानचित्र में प्रस्तावित आंशिक संशोधन करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 15

खसरा संख्या-1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 ग्राम-औरंगाबाद जागीर, तहसील-सरोजनी नगर जिला-लखनऊ का भू-उपयोग ग्रीन (पी1) से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त खसरा संख्या-1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 में से 600 वर्गमी० भूमि/भूखण्ड, ग्राम-औरंगाबाद जागीर, तहसील-सरोजनी नगर, जिला-लखनऊ की भूमि महायोजना-2021 के अन्तर्गत दर्शित ग्रीन (पी) से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में नागरिक उड्डयन से अनापत्ति प्राप्त कर परिवर्तन शुल्क लिये जाने की शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तुत भू-उपयोग विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय

लिया गया।

विषय संख्या : 16

निर्णय :

अलीगंज योजना सेक्टर-ओ के अन्तर्गत डाक विभाग, उ०प्र० सर्किल, लखनऊ की भूमि पर लेवी शुल्क के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव चर्चा हुई। सरकारी विभागों को समय से धनराशि (ग्रांट) उपलब्ध न हो पाने के कारण निर्माण में विलम्ब होता है। अतएव अलीगंज योजना सेक्टर-ओ के अन्तर्गत डाक विभाग को आवंटित लीज पर लगभग 34600 वर्गमी० भूमि पर आरोपित अनिर्माण शुल्क (लेवी शुल्क) न लिये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 17

निर्णय :

मे० ओमेक्स लि० द्वारा गोमतीनगर के सेक्टर-7 के निकट 103.62 एकड़ भूमि पर विकासाधीन इंटीग्रेटेड टाउनशिप के संशोधित ले-आउट के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

सम्यक् विचारोपरान्त मे० ओमेक्स लि० द्वारा गोमती नगर के सेक्टर-7 के निकट 103.62 एकड़ भूमि पर विकासाधीन इंटीग्रेटेड टाउनशिप के संशोधित ले-आउट स्वीकृत किये जाने विषयक प्रस्ताव पर तकनीकी समिति की संस्तुति दिनांक 19.12.2016 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 18

निर्णय :

सुल्तानपुर रोड पर विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप सुशान्त गोल्फ सिटी के पूर्व में स्वीकृत डी०पी०आर० तथा तलपट मानचित्र में चार भूखण्डों के स्थानों में कतिपय संशोधन के सम्बन्ध में।

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 19

निर्णय :

नियोजित कालोनियों के आवासीय भूखण्डों पर प्रस्तावित अनावासीय (बैंक, नर्सिंग होम, होटल, स्कूल आदि) क्रियाओं के भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

नियोजित तथा स्वीकृत तलपट मानचित्र के अन्तर्गत विकसित किये गये आवासीय भूखण्डों पर अनुमन्य उपयोग की अनुमन्यता हेतु उ०प्र० आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-457/8-3-16-127विविध/11, लखनऊ दिनांक 08.07.2016 के क्रम में प्रस्तुत 21 प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्धारित समिति द्वारा दी गयी संस्तुति एवं संस्तुत मार्ग-दर्शक मानकों सहित यथावत् अनुमोदित किया जाता है।

m

विषय संख्या : 20

आधुनिक तकनीकी परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए कम्प्यूटर हेतु स्वीकृत पदों के पदनाम परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 21

विनम्र खण्ड, गोमती नगर योजना, लखनऊ के अन्तर्गत लखनऊ पब्लिक कॉलेज आवंटित हायर सेकेण्ड्री स्कूल भूखण्ड पर डिग्री कालेज की अनुमति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त शैक्षिक भूखण्डों हेतु शासनादेश की रियायती दरों के प्राविधानों के अन्तर्गत डिग्री कालेज एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल के अन्तर आंकलित धनराशि ब्याज सहित लिये जाने की शर्त के साथ विनम्र खण्ड, गोमती नगर योजना के अन्तर्गत लखनऊ पब्लिक एजुकेशनल सोसाइटी को आवंटित हायर सेकेण्ड्री स्कूल भूखण्ड में डिग्री कालेज के संचालन की अनुमति विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य विषय 22

गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि खसरा संख्या 128 मकदूमपुर गोमती नगर लखनऊ के स्थान पर विस्थापित कोटे में श्रीमती साधना भारद्वाज पत्नी श्री एस0बी0 भारद्वाज को भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

निर्णय

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

दिनांक 21.12.2016 को सायंकाल 4.00 बजे लखनऊ विकास प्राधिकरण के निदेशक मण्डल की 160 वीं बैठक सम्पन्न हुई। दिनांक 22.12.2016 को उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, डा0 अनूप यादव का स्थानान्तरण हो गया है। डा0 अनूप यादव, उपाध्यक्ष के द्वारा चार्ज हस्तांतरित कर दिये जाने के कारण निदेशक मण्डल की उक्त बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर नहीं किया जा सका। दिनांक 21.12.2016 की बैठक में सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण श्री अरुण कुमार अस्वस्थ होने के कारण अवकाश पर थे, इसलिए दिनांक 21.12.2016 की निदेशक मण्डल की बैठक में वह उपस्थित नहीं थे।

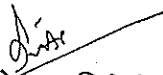
उपाध्यक्ष के स्थानान्तरण होने तथा सचिव के अस्वस्थ होने के कारण निदेशक मण्डल की बैठक में उपस्थित न रहने के कारण कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर नहीं हो सके तथा बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि भी नहीं की जा सकी। अतः तकनीकी कारणों से दिनांक 21.12.2016 की निदेशक मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयों तथा कार्यवृत्त की पुष्टि किये



जाने के संबंध में मा० अध्यक्ष महोदय, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में आज दिनांक 26.12.2016 को पूर्वान्ह 11.30 बजे निदेशक मण्डल की बैठक पुनः सम्पन्न हुई। नये उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री सत्येन्द्र सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया गया है तथा सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री अरुण कुमार तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में दिनांक 21.12.2016 की बैठक के बारे में चर्चा हुई और उपरोक्त वस्तुस्थिति की जानकारी सचिव/उपाध्यक्ष द्वारा मा० अध्यक्ष महोदय तथा मा० सदस्यों को दी गयी। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 21.12.2016 की निदेशक मण्डल की बैठक में एजेण्डावार लिये गये निर्णयों की पुष्टि की जाती है, उस पर सभी सदस्य सहमत हैं और कार्यवृत्त की भी पुष्टि की जाती है।

उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।


(अरुण कुमार)
सचिव


(सत्येन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित


(सदाकान्त) 26/12/16

अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय संख्या : 02

पृष्ठ सं० : 08

विषय:-लखनऊ विकास प्राधिकरण की 160वीं बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय संख्या : 1

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.10.2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय :

प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

अनुपालन :

नोट किया गया।

विषय संख्या : 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.10.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय :

प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

अनुपालन :

नोट किया गया।

विषय संख्या : 3

लामार्टिनियर गर्ल्स कालेज में बनाये गये आडिटोरियम का नाम फरीदा अब्राहम मेमोरियल आडिटोरियम रखे जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में उप-प्रधानाचार्य, लामार्टिनियर गर्ल्स कालेज, लखनऊ को कार्यालय पत्र सं०-370/अ०अ०जे०पी०एन०आई०सी०/2017 दिनांक 11.01.17 प्रेषित किया गया। इस प्रकार प्राधिकरण स्तर की कार्यवाही पूर्ण की गयी।

विषय संख्या : 4

अमर शहीद पथ गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि में निर्माण के बदले विस्थापित कोटे का लाभ दिये जाने की मांग के क्रम में आवेदनों पर विचार करने के लिए कमेटी गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त अमर शहीद पथ गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि में निर्माण के बदले विस्थापित कोटे

का लाभ दिये जाने की मांग के क्रम में आवेदनों पर विचार करने के लिए कमेटी गठित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में उप-समिति गठित की जा चुकी है। अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 5

आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.16 के माध्यम से भूमि अर्जन अधिनियम, पुर्नवास और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013, की धारा-24(2) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया स्वतः ही व्यपगत हो जाने के कारण प्रार्थिनी की ग्राम मखदूमपुर की खसरा संख्या-132 रकबा 1-2-0-0 बीघा भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने तथा प्रार्थिनी को कब्जा पुनः प्रदान किये जाने की मांग के क्रम में प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

पुनर्परीक्षण हेतु प्रस्ताव स्थगित किया गया।

अनुपालन :

प्रस्ताव स्थगित किया गया है। अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

विषय संख्या : 6

प्राधिकरण की अर्जित ग्राम मलेसेमऊ की खसरा संख्या-322 क्षेत्रफल 2-10-8-0 बीघा भूमि के बदले शासनादेश दिनांक 22.10.2002 के अनुसार 50 प्रतिशत भूमि आवेदिका के पक्ष में यथास्थान समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण की अर्जित ग्राम मलेसेमऊ की खसरा संख्या-322 क्षेत्रफल 2-10-8-0 बीघा भूमि के बदले शासनादेश दिनांक 22.10.02 के अनुसार 50 प्रतिशत भूमि विकास शुल्क लेते हुए आवेदिका के पक्ष में यथास्थान समायोजित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अर्जित ग्राम-मलेशेमऊ की खसरा सं0-322, क्षेत्रफल 2-10-8-0 बीघा भूमि के बदले शासनादेश दिनांक 22.10.2002 के अनुसार 50 प्रतिशत भूमि विकास शुल्क लेते हुए आवेदिका के पक्ष में यथा-स्थान समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 7

कानपुर रोड नगर प्रसार भाग-1, 2, 3 व 4 के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर समझौते के आधार पर भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचार-विमर्श के उपरान्त कमेटी गठित कर विधिक रूप से परीक्षण व पुनर्निर्धारण हेतु प्रस्ताव स्थगित किया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में उप-समिति गठित कर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 8

भूखण्ड संख्या-सीएफ-1/43, गोमती नगर विस्तार वरदान खण्ड-1 में सामुदायिक से आवासीय उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन एवं विराज खण्ड-2 में 2000 वर्गमी० भूखण्ड को सामुदायिक से आवासीय उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विधिक/पुनर्परीक्षण हेतु प्रस्ताव स्थगित किया गया।

अनुपालन :

निर्णयानुसार पुनर्परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 9

लखनऊ विकास प्राधिकरण में पांच दिवसीय कार्य-सप्ताह लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव स्थगित किया गया।

अनुपालन :

अनुपालन की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

विषय संख्या : 10

19 मृतक आश्रित संविदा कार्मिकों में से समूह-ग के 2 तथा समूह-घ के 17 कार्मिकों को नियमित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन :

निर्णयानुसार नियमित वेतनमान दिया गया। प्राधिकरण स्तर की कार्यवाही पूर्ण की गयी।

विषय संख्या : 11

उ०प्र० सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 में उल्लिखित प्राविधानानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त उ०प्र० सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 को अंगीकृत किया गया।

- अनुपालन : निर्णयानुसार अंगीकृत नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
- विषय संख्या : 12 लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहे चिकित्सा भत्ते की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्ताव वापस लिया गया।
- अनुपालन : अनुपालन अपेक्षित नहीं है।
- विषय संख्या : 13 उ०प्र० नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में प्रस्तावित संशोधन को अंगीकरण के सम्बन्ध में।
- निर्णय : उ०प्र० नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में प्रस्तावित संशोधनों को अंगीकृत किया गया।
- अनुपालन : उ०प्र० नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में प्रस्तावित संशोधन को अंगीकृत किया गया तथा तदनुसार प्राविधानों का अनुपालन किया जा रहा है।
- विषय संख्या : 14 गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 तथा सेक्टर-6 के तलपट मानचित्र में प्रस्तावित आंशिक संशोधन करने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्रकरण पर जनसाधारण से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे, जिसके अन्तर्गत प्राप्त आपत्ति/सुझावों की सुनवाई की गयी। प्रकरण पर की गयी कार्यवाही को पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- विषय संख्या : 15 खसरा संख्या-1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 ग्राम-औरंगाबाद जागीर, तहसील-सरोजनी नगर जिला-लखनऊ का भू-उपयोग ग्रीन (पी1) से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त खसरा संख्या-1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 में से 600 वर्गमी० भूमि/भूखण्ड, ग्राम-औरंगाबाद जागीर, तहसील-सरोजनी नगर, जिला-लखनऊ की भूमि महायोजना-2021 के अन्तर्गत दर्शित ग्रीन (पी) से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में नागरिक

उड़डयन से अनापत्ति प्राप्त कर परिवर्तन शुल्क लिये जाने की शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तुत भू-उपयोग विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण के पत्र सं०-1678/सचिव/सी०टी०पी०/2017 दिनांक 03.01.2017 सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० तथा पत्र सं०-1676/मु०न०नि०/2016 दिनांक 31.12.16 द्वारा निदेशक, एयरपोर्ट अथारिटी आफ इण्डिया, अमौसी लखनऊ को अनापत्ति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया गया।

विषय संख्या : 16

अलीगंज योजना सेक्टर-ओ के अन्तर्गत डाक विभाग, उ०प्र० सर्किल, लखनऊ की भूमि पर लेवी शुल्क के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव चर्चा हुई। सरकारी विभागों को समय से धनराशि (ग्रांट) उपलब्ध न हो पाने के कारण निर्माण में विलम्ब होता है। अतएव अलीगंज योजना सेक्टर-ओ के अन्तर्गत डाक विभाग को आवंटित लीज पर लगभग 34600 वर्गमी० भूमि पर आरोपित अनिर्माण शुल्क (लेवी शुल्क) न लिये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अलीगंज सेक्टर-ओ स्थित डाक विभाग, उ०प्र० सर्किल लखनऊ के मानचित्र (स्वीकृत) को बिना लेवी शुल्क लिये परमिट सं०-39775 दिनांक 25.04.2016 द्वारा निर्गत कर हस्तगत किया गया। इस प्रकार प्राधिकरण स्तर की कार्यवाही पूर्ण की गयी।

विषय संख्या : 17

मे० ओमेक्स लि० द्वारा गोमतीनगर के सेक्टर-7 के निकट 103.62 एकड़ भूमि पर विकासाधीन इंटीग्रेटेड टाउनशिप के संशोधित ले-आउट के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त मे० ओमेक्स लि० द्वारा गोमती नगर के सेक्टर-7 के निकट 103.62 एकड़ भूमि पर विकासाधीन इंटीग्रेटेड टाउनशिप के संशोधित ले-आउट स्वीकृत किये जाने विषयक प्रस्ताव पर तकनीकी समिति की संस्तुति दिनांक 19.12.2016 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में विकासकर्ता मे० ओमेक्स लि० का संशोधित विन्यास मानचित्र परमिट सं०-41134 दिनांक 16.02.2017 द्वारा निर्गत कर दिया गया है।

विषय संख्या : 18

सुल्तानपुर रोड पर विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप सुशान्त गोल्फ सिटी के पूर्व में स्वीकृत डी0पी0आर0 तथा तलपट मानचित्र में चार भूखण्डों के स्थानों में कतिपय संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अनुपालन निम्नवत् है:-

प्रकरण-1: मे0 असंल ए0पी0आई0 के हाईटेक टाउनशिप "सुशान्त गोल्फ सिटी" के अन्तर्गत सेक्टर-सी, पाकेट-7 के ग्रुप हाउसिंग संख्या-3, क्षेत्रफल-17924.45 वर्गमी0 (4.42 एकड़) प्रस्तावित 49 रो-हाउसिंग भवनों का मानचित्र परमिट सं0-40994 दिनांक 19.01.2017 निर्गत कर दिया गया है।

प्रकरण-2: मे0 असंल ए0पी0आई0 के हाईटेक टाउनशिप "सुशान्त गोल्फ सिटी" के अन्तर्गत सी0बी0डी0 (व्यावसायिक) संशोधित विन्यास मानचित्र (63.37 एकड़) पर तकनीकी समिति द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन हेतु विकासकर्ता को अवगत करा दिया गया है। विकासकर्ता द्वारा अनुपालन अभी नहीं किया गया है।

प्रकरण-3: मे0 असंल ए0पी0आई0 के हाईटेक टाउनशिप "सुशान्त गोल्फ सिटी" के अन्तर्गत शहीद पक्ष के समानान्तर व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-2 पर प्रस्तुत इण्टरनेशनल ट्रेड पार्क-2 (आई0टी0पी0-2) के व्यावसायिक विन्यास मानचित्र क्षेत्रफल-129128.73 (26.96 एकड़) परमिट संख्या-41150 दिनांक 23.02.2017 निर्गत कर दिया गया है।

प्रकरण-4: मे0 असंल ए0पी0आई0 के हाईटेक टाउनशिप "सुशान्त गोल्फ सिटी" के अन्तर्गत सेक्टर-ए, पाकेट-4 फैंसिलिटीज/उद्यान/कृषि क्षेत्रफल-20261.54 वर्गमी0 (5.0 एकड़) को आवासीय में परिवर्तित किये जाने हेतु एवं सेक्टर-एफ, पाकेट-2 में यातायात फैंसिलिटीज (बस डिपो एवं बस टर्मिनल) क्षेत्रफल-18995.01 वर्गमी0 (4.69 एकड़) को कम करते हुए सामान्य फैंसिलिटी के 03 भूखण्डों (क्षे0-12000.00 वर्गमी0) का नियोजन करते हुए प्रस्तुत संशोधित पार्ट विन्यास मानचित्र (भू-उपयोग स्वैपिंग) पर तकनीकी समिति द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन हेतु विकासकर्ता को अवगत करा दिया गया है। विकासकर्ता द्वारा अनुपालन अभी नहीं किया गया है।

विषय संख्या : 19

नियोजित कालोनियों के आवासीय भूखण्डों पर प्रस्तावित अनावासीय (बैंक, नर्सिंग होम, होटल, स्कूल आदि) क्रियाओं के भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

नियोजित तथा स्वीकृत तलपट मानचित्र के अन्तर्गत विकसित किये गये आवासीय भूखण्डों पर अनुमन्य उपयोग की अनुमन्यता हेतु उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-457/8-3-16-127विविध/11, लखनऊ दिनांक 08.07.2016 के क्रम में प्रस्तुत 21 प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्धारित समिति द्वारा दी गयी संस्तुति एवं संस्तुत मार्ग-दर्शक मानकों सहित यथावत् अनुमोदित किया जाता है।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण द्वारा जनसाधारण से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित कर निस्तारित कराने तथा मानचित्र की स्वीकृति पर कार्यवाही की जायेगी।

विषय संख्या : 20

आधुनिक तकनीकी परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए कम्प्यूटर हेतु स्वीकृत पदों के पदनाम परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पदनाम परिवर्तित किये जाने हेतु पत्र सं0-727/ई0डी0पी0/2017 दिनांक 31.03.2017 द्वारा शासन को पत्र प्रेषित किया। इस प्रकार प्राधिकरण स्तर की कार्यवाही पूर्ण की गयी।

विषय संख्या : 21

विनम्र खण्ड, गोमती नगर योजना, लखनऊ के अन्तर्गत लखनऊ पब्लिक कॉलेज आवंटित हायर सेकेण्ड्री स्कूल भूखण्ड पर डिग्री कालेज की अनुमति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त शैक्षिक भूखण्डों हेतु शासनादेश की रियायती दरों के प्राविधानों के अन्तर्गत डिग्री कालेज एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल के अन्तर आंकलित धनराशि ब्याज सहित लिये जाने की शर्त के साथ विनम्र खण्ड, गोमती नगर योजना के अन्तर्गत लखनऊ पब्लिक एजुकेशनल सोसाइटी को आवंटित हायर सेकेण्ड्री स्कूल भूखण्ड में डिग्री कालेज के संचालन की अनुमति विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में लखनऊ पब्लिक कालेज को आवंटित हायर सेकेण्ड्री स्कूल भूखण्ड पर डिग्री कालेज के संचालन की अनुमति प्रदान की गयी। निर्णय की सूचना स्कूल के प्रबन्धक को प्रेषित कर दी गयी है। प्राधिकरण स्तर की कार्यवाही पूर्ण की गयी।

विषय संख्या : 22

गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि खसरा संख्या-128 मकदूमपुर, गोमती नगर, लखनऊ के स्थान पर विस्थापित कोटे में श्रीमती साधना भारद्वाज पत्नी श्री एस0बी0 भारद्वाज को भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में श्रीमती साधना भारद्वाज को विस्थापित कोटे के अन्तर्गत विस्थापन नीति के तहत भूखण्ड सं0-6/वी-325 गोमती नगर विस्तार आवंटित करते हुए आवंटन एवं गणनानुसार धनराशि जमा किये जाने की सूचना प्रेषित की जा चुकी है। वांछित धनराशि जमा किये जाने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार प्राधिकरण स्तर की कार्यवाही पूर्ण की गयी।

विषय:-प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2016-17 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 का प्रस्तावित आय-व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव।

(धनराशि रुपये करोड़ में)

क्रमांक	मद का विवरण	वास्तविक 2014-15	प्रस्तावित 2015-16	वास्तविक 2015-16	प्रस्तावित 2016-17	वास्तविक 2016-17	प्रस्तावित 2017-18
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रारम्भिक अवशेष	734.21	728.84	650.45	620.50	620.50	516.44
2	राजस्व आय	230.26	260.10	287.68	291.70	356.97	373.75
3	पूँजीगत आय	748.56	2277.10	1582.66	2899.10	1651.26	2301.60
4	कुल आय (2+3)	978.82	2537.20	1870.34	3190.80	2008.23	2675.35
	योग (1+4)	1713.03	3266.04	2520.79	3811.30	2628.73	3191.79
5	राजस्व व्यय	121.91	150.62	148.13	176.32	183.15	179.62
6	पूँजीगत व्यय	940.67	2519.40	1752.16	2989.50	1929.14	2431.80
7	कुल व्यय (5+6)	1062.58	2670.02	1900.29	3165.82	2112.29	2611.42
8	अन्तिम अवशेष	650.45	596.02	620.50	645.48	516.44	580.37
	योग (7+8)	1713.03	3266.04	2520.79	3811.30	2628.73	3191.79

(नोट - विस्तृत बजट बुकलेट के रूप में अलग से अवलोकनार्थ संलग्न है।)